राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 39 / 2016 दायर दिनांक 01.01.2016

—: अनवानः—

1.मनोहर लाल पिता नन्दलाल जाति भील निवासी जित्यास तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ

(प्रार्थी)

बनाम

1.भागुता पिता काना जाति भील निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ़

2.देबी लाल पिता काना जाति भील निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ

3.दाखी बेवा काना जाति भीर्ल निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ

(अप्रार्थीगण)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजय खटीक अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री के0सी0 तम्बोली

निर्णय दिनांक 05.09.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोहर लाल पिता नन्दलाल जाति भील निवासी जित्यास तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम बिगोद प0 हल्का बिगोद तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या 865 आराजी न0 4071 / 3378 रकबा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का महोनपुरा के आराजियात ग्राम मोहनपुरा के आराजी न0 4071 / 3378 रकबा 17 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीं को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0सी0 तम्बोली ने जवाब पेश किया तथा जवाब में बताया कि उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है स्थगन आदेश का अवलोकन करने पर जाहिर आया की विपक्षी ने जो स्थगन आदेश प्राप्त किया जो आराजी नम्बर 3376 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा पर है । विवादित आराजी पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने कोई गवाहो के बयान नहीं कराये। भू0 अभि0 नि0 द्वारा मौका रिपोर्ट मंगायी गयी जो शामील पत्रावली है। भू0 अभि0 नि0 द्वारा आराजी नम्बर 4071 / 3378 रकबा 17 बिस्वा प्रार्थी मनोहर लाल भील

तहसीलदार
माण्डलगढ

कें खाते की बताई व अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया है इसके पश्चात मैरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है। व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा किया जाना स्पष्ट है। एसी स्थिति में अप्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी नम्बन 4071/3378 रकबा 17 बिस्वा भूमि से अप्रार्थीगण का कब्जा हटाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम बिगोद पटवारी हल्का बिगोद तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 4071/3378 रकबा 17 बिस्वा भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण का हटाया जाकर प्रार्थीया को सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इस बाबत संबंधित भू0अभिलेख निरीक्षक को अलग से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद दाखिला सुमार फैसल हो। नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास मे सरे-आम सुनाया गया।

(गोवर्धन लाल बैरवा)
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा